मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 1 अगस्त, 2007 (श्रावण 10, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन का उल्लेख :-

(1) श्री रघुवर दयाल रसोइया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, तथा

(2) श्री हरीराम सिंह सर्राफ, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, सिंहस्थ 2004 जांच दल क्रमांक 1 से 5 तक के जांच प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम किर्राच का पुरा में सैकड़ों बकरियां चुराये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बृजेन्द्र तिवारी, आरिफ अकील, लाल सिंह आर्य, सदस्य, भोपाल में संचालित तकनीकी महाविद्यालयों द्वारा आवंटित भूमि के डायवर्सन में नियमों का उल्लंघन किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री उमाशंकर गुप्ता, आरिफ अकील, सुनील नायक, सदस्य, भोपाल में अवैध रूप से टावर एवं होर्डिंग लगाये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, चंबल क्षेत्र में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री बोध सिंह भगत, सदस्य, बालाघाट जिले में कृषकों को खाद बीज न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री हरवंश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के छपारा में पत्रकार पर हमला किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले में कृषकों से विद्युत देयकों की अधिक वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य, प्रदेश में जंगल क्षेत्र के मुआवजे के कारण लघु सिंचाई योजनाओं की लागत दर अधिक होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, मध्यप्रदेश बीज निगम के दोषी अधिकारी पर कार्यवाही न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री हरवंश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम सिहोरा में जोबा नाले पर बांध का निर्माण न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री आरिफ अकील, सदस्य, रीवा केन्द्रीय जेल के जेलर पर प्राण घातक हमला होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य, रतलाम के आलोट में हत्या के अपराधी को न पकड़े जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य, पांढुर्ना स्थित महाविद्यालय भवन का निर्माण अपूर्ण होने की ओर राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में लूट की अनेक घटनाएं घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) पं.रमेश दुबे, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले के गुलाना क्षेत्र में कम क्षमता के विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले की हिर्री नदी पर पुल का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले के गुलाना क्षेत्र में स्थित सिंचाई तालाबों पर अतिक्रमण होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री अश्विन जोशी, प्रेमचन्द गुड्डू, राजनारायण सिंह पूरनी, सदस्य, इंदौर पुलिस द्वारा चोरी के पाईप पकड़े जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल नगर निगम द्वारा नालों की सफाई में जमा मलवा न हटाये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री धुलजी चौधरी, सदस्य, रतलाम जिले में नहरों के रखरखाव हेतु कम राशि आवंटित किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, सीधी जिले की महान परियोजना में प्रभावितों को उपयुक्त मुआवजा न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, सतना जिले के ग्राम रनेही में एक बालिका की हत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, रामनिवास रावत, आरिफ अकील, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम सुहाना निवासी युवक की पुलिस हिरासत में मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य, इंदौर नगर निगम द्वारा कम्प्यूटराइजेशन कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, कटनी जिले में मार्बल उद्योग की डस्ट को कृषकों की उपजाऊ कृषि भूमि पर फेके जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(28) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले में अनेक ओला प्रभावित ग्रामों का सर्वे न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम सरारी-खारे एवं गोठरा-वनाद मार्ग के निर्माण में लगे श्रमिकों को भुगतान न किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, कटनी जिले में अवैध शराब की बिक्री होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(31) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी, सदस्य, शिवपुरी जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम डिडोना में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में गन्ने की खरीदी समर्थन मूल्य पर न किये जाने की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के अटेर मार्ग पर बस चालक एवं परिचालक के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 138, मुलताई से निर्वाचित सदस्य, डॉ. सुनीलम् को विधान सभा के जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सभापति, लोक लेखा समिति का 350 वां से 363 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्रीमती सुधा जैन, सभापति, प्राक्कलन समिति का द्वादश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(3) श्री अंचल सोनकर, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का बारहवां एवं तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

-3-

7. प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय.".

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम खाचरोद जावरा मार्ग पर रेलवे फाटक के पास रेल्वे ओवर ब्रिज स्वीकृत किये जाने, तथा

(ख) नागदा में शासकीय कालोनी व शिवपुरा फाटक जबरन कालोनी के मध्य रेलवे ओवर ब्रिज की स्वीकृत दिये जाने,

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, भोपाल जिले के नार्थ टी.टी. नगर स्थित शास. आवास क्र. एच 19 ए/ब्लाक 1 से 12 तक फर्शीकरण कराये जाने,

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम नन्दपुरा, मथुरापुर, डावर का पुरा के कटावों को रोके जाने,

(4) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, देवास जिले के -

(क) ग्राम पीपलरवा से बेरछा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम पीपलरवा में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

(ग) नगर पंचायत टोकखुर्द में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने, तथा

(घ) ग्राम इकलेरा माताजी एवं सुरजना मार्ग पर काली सिन्ध नदी में पुल निर्माण कराये जाने,

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम बसोवा से दोन तक मार्ग बनाये जाने,

(6) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल जिले के -

(क) शहर के नव बहार सब्जी मण्डी की साफ-सफाई किये जाने,

(ख) शहर में नर्मदा जल लाये जाने,

(ग) डेयरियों को शहर से बाहर स्थापित कराये जाने,

(घ) शहर के बंद पड़े प्याऊओं को चालू कराये जाने,

(ङ) शहर के कुएं एवं बावड़ी की साफ-सफाई कराये जाने, एवं

(च) शहर के धार्मिक स्थलों के पास से देशी एवं अंग्रेजी शराब की दुकानों को हटाये जाने,

(7) श्री नाना भाऊ मोहोड़, सदस्य, भोपाल जिले के अयोध्या बायपास मार्ग से ग्राम दामखेड़ा, कोच फैक्ट्री एवं रेल्वे स्टेशन तक मार्ग का निर्माण कराये जाने, तथा

(8) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के देवर्धा, नेर, बनगांव, खैरीभुताई, अजनिया से नई कृषि मण्डी तक पहुंच मार्ग बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

2 घन्टे (1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 22 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 23 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 31 जुलाई, 2007